

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी
प्रकीर्ण वाद संख्या-815/2019

08.04.2022

पत्रावली पेश हुयी। वादी मुकदमा को प्रकरण में प्रेषित अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति करने हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने पर भी आज तक कोई उपस्थित नहीं आया। मुकदमा कई वर्षों से लम्बित है। पुलिस द्वारा प्रकरण में पर्याप्त प्रयास करने पर भी माल व मुल्जिम का पता नहीं चल सका। पुलिस द्वारा स्वाभाविक प्रयास किया गया है तथा प्रकरण में वादी मुकदमा को विगत कई तिथियों से नोटिस प्रेषित है लेकिन वह न तो उपस्थित आ रहा है और न ही उसके द्वारा कोई मुकदमे की जानकारी की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुकदमा लड़ने का इच्छुक नहीं है। वादी की अनुपस्थिति में मुकदमा अनन्त काल तक लम्बित नहीं रखा जा सकता है। अतः वादी के उपस्थित न आने के कारण तथा विवेचना में कोई त्रुटि न पाते हुये प्रकरण में प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मु0अ0सं0-563/2019 धारा 379 भा0दं0सं0 थाना कैट में प्रेषित अंतिम रिपोर्ट संख्या-01/2019 दिनांकित 24.04.2019 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जावे।

(भारतेन्द्र सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।